

प्रपत्र सं. आरएससी - 4

[नियम 3(3) के अनुसार]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण पीठ के
समक्ष, नई दिल्ली में कंपनी आवेदन संख्या
2022 की सीपी / 113 (एनडी) 2022
डीएमआई फाइनेंस प्रा. लि.

सूचना का प्रकाशन

कंपनी अधिनियम, 2013 और
के मामले में:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 (1) (ए)
और

डीएमआई फाइनेंस प्रा. लि.

के मामले में

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के
तहत निगमित एक कंपनी और जिसका
पंजीकृत कार्यालय **एक्सप्रेस बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल 9-10, बहादुर शाह
जफर मार्ग, दिल्ली-110002** में है,

... याचिकाकर्ता कंपनी

के मामले में:

सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कंपनी की
शेयर पूंजी को **₹. 712,39,34,010** से
घटाकर **₹. 656,70,01,390** करने की
पुष्टि करने के लिए जुलाई, 2022 के 11 वें
दिन नई दिल्ली (बेंच) में ट्रिब्यूनल के समक्ष
एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

व्यक्तिगत लेनदारों को नोटिस जारी किए
गए हैं। कंपनी द्वारा मई 2022 के 25 वें दिन
तैयार लेनदारों की सूची कंपनी के पंजीकृत
कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल
9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली-
110002 में 21 जुलाई, 2022 से 20 अक्टूबर,
2022 के बीच सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के
दौरान सभी कार्य दिवसों पर निरीक्षण के
लिए उपलब्ध है।

यदि कंपनी के किसी लेनदार को आवेदन या
लेनदारों की सूची में दिए गए विवरण पर
कोई आपत्ति है, तो उसे (सहायक दस्तावेजों
के साथ) और उसके नाम और पते के बारे में
विवरण और उसके अधिकृत प्रतिनिधि के
नाम और पते के बारे में विवरण, यदि कोई हो,
एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल 9-10,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-
110002 पर इस नोटिस की तारीख के तीन
महीने के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेजा जा
सकता है।

यदि ऊपर बताए गए समय के भीतर कोई
आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो लेनदारों की
सूची में प्रविष्टियों को, कंपनी की शेयर पूंजी
को कम करने के लिए उपरोक्त याचिका के
तहत सभी कार्यवाही में सही माना जाएगा।
यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल
द्वारा तय किए गए निर्णय के अनुसार
सुनवाई **सोमवार, 22 अगस्त 2022** को
निर्धारित की गई है जिस पर ट्रिब्यूनल
आवेदन पर सुनवाई करेगा यदि कोई
लेनदार सुनवाई में भाग लेने का इरादा
रखता है, तो उसे अपनी आपत्तियों के साथ
एक अनुरोध करना चाहिए, यदि कोई हो।

डीएमआई फाइनेंस प्रा. लि. के लिए

तिथि: 21 जुलाई 2022

हस्ता / -

स्थान: नई दिल्ली

कृष्ण गोपाल

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)